

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी : डॉ.गुंजन सोनी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. 80/2022

GCMS No. 2022/80

अपीलांट-	बनाम	उत्तरदातागण-
1. रमाराम पुत्र मोडाराम 2. ईगाराम पुत्र मोडाराम 3. निम्बाराम पुत्र मोडाराम 4. अंतरोदेवी पत्नी मोडाराम जातियान मेघवाल निवासीयान खोखर, तहसील गिडा जिला बालोतरा	बनाम	1. लिखमाराम पुत्र हराराम 2. अणसीदेवी पत्नि प्रहलादराम 3. गणेशलाल पुत्र प्रहलादराम 4. दलवीर पुत्र प्रहलादराम 5. निरमा कुमारी पुत्री प्रहलादराम 6. पेमाराम पुत्र भीखाराम 7. सागरराम पुत्र भीखाराम 8. कसुम्बीदेवी पत्नी राजूराम 9. गिरधारीराम पुत्र राजूराम 10. तगाराम पुत्र खेताराम 11. पदमाराम पुत्र खेताराम 12. भोमाराम पुत्र खेताराम जातियान मेघवाल निवासीयान खोखर, तहसील गिडा जिला बाडमेर। 13. राजस्थान सरकार तहसीलदार गिडा। 14. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक शाखा गिडा।

प्रथम राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश क्रमांक शिविर/2001/750 दिनांक 04.01.2002 तहसीलदार गिडा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री नरपत पुनड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. उत्तरदातागण की अनु. उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :- 22.04.2025

अपीलांटगण की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, तहसीलदार गिडा के आदेश क्रमांक राजस्व/2021/497 दिनांक 25.11.2021 तहसीलदार गिडा के द्वारा कृषी भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक शिविर/2001/750 दिनांक 04.01.2002 के तहत जिला बाडमेर से स्थानान्तरण होकर पत्रावली इस न्यायालय में दिनांक 27.12.2022 को प्राप्त होकर दर्ज हुई। अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। उत्तरदाता संख्या 01 से 12 के अधिवक्ता उपस्थित। अपील इस प्रकार है कि अपीलांट व उत्तरदातागण संख्या 01 से 12 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नं. 124, 295, 295/1785, 1009 रकबा क्रमशः 101,17.08, 7.02, 10.02 बीघा (वर्तमान में विभक्त खसरा नंम्बर 1718/124, 1723/295, 1009, 124, 295, 295/1785, 1720/124, 1719/124 रकबा क्रमशः 6.5073, 0.8094, 1.3031, 2.5252, 2.0072, 1.1493, 3.6584, 3.6584, हेक्टेयर) मौजा अक्षयपुरा पटवार मण्डल खोखर तहसील गिडा जिला बालोतरा के खेत 371, 373, 374, 372 रकबा क्रमांक 0.08, 0.11, 251, 0.04, बीघा (वर्तमान में विभक्त खसरा नंम्बर 374, 557/374, 373, 556/374, 371, 372, 555/374 रकबा क्रमशः 6.774, 13.5408, 0.0890, 13.3789, 0.0647, 0.0324, 6.7744 हेक्टेयर) उक्त भूमि अपीलांटगण व उत्तरदातागण संख्या 01 से 12 का अपने-अपने हक हिस्सेदार माफिक बाहमी तौर से किये गये बंटवाड़ा अनुसार काबिज हैं।

उत्तरदातागण संख्या 01 से 12 ने कृषि जोतो का विभाजन करने बाबत उत्तरदाता सं 13 तहसीलदार गिडा के समक्ष आवेदन "प्रशासन गांवो के संग अभियान शिविर" में दिनांक 04.01.2002 को प्रस्तुत किया। तहसीलदार गिडा के आदेश क्रमांक राजस्व/2021/497 दिनांक 25.11.2021 तहसीलदार गिडा के आदेश क्रमांक शिविर/2001/750 दिनांक 04.01.2002 द्वारा अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 01 से 12 की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजन करने हेतु पारित किया गया। आदेश अनुसार विवादित भूमि का राजस्व रेकॉर्ड से अमलदरामद हुआ। तहसीलदार गिडा



द्वारा बंटवाड़ा किया गया था। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाशकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर तहसीलदार गिड़ा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काशकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश क्रमांक शिविर/2001/750 दिनांक 04.01.2002 तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित किया गया।

अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.12.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 12 की ओर से प्रस्तुत जवाब में कथन किया कि उतरदातागण संख्या 01 से 12 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नं. 124, 295, 295/1785, 1009 रकबा क्रमशः 101,17.08, 7.02, 10.02 बीघा (वर्तमान में विभक्त खसरा नम्बर 1718/124, 1723/295, 1009, 124, 295, 295/1785, 1720/124, 1719/124 रकबा क्रमशः 6.5073, 0.8094, 1.3031, 2.5252, 2.0072, 1.1493, 3.6584, 3.6584, हेक्टेयर) मौजा अक्षयपुरा पटवार मण्डल खोखर तहसील गिड़ा जिला बालोतरा के खेत 371, 373, 374, 372 रकबा क्रमांक 0.08, 0.11, 251, 0.04, बीघा (वर्तमान में विभक्त खसरा नम्बर 374, 557/374, 373, 556/374, 371, 372, 555/374 रकबा क्रमशः 6.774, 13.5408, 0.0890, 13.3789, 0.0647, 0.0324, 6.7744 हेक्टेयर) के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोंडेंटगण की संयुक्त भूमि अवस्थित है। सहमती बंटवाड़ा के आवेदन पर समस्त पक्षकारान का हस्ताक्षर करते हुए अपीलांटगण तथा रेस्पोंडेंटगण के आपसी सहमती द्वारा ही उक्त खसरा का आलोच्य बंटवाड़ा करवाया गया है। समस्त पक्षकारान बंटवाड़ा के अनुसार ही अपने कब्जे काशत पर मौके पर अवस्थित हैं। उक्त खसरान का विधिवत रूप आपसी सहमति से वर्ष 2002 को बंटवाड़ा हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर, संयुक्त शामलाती कृषि भूमि का कब्जे काशत एवं हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अलम दरामद एवं नक्शे में तरमीम किया गया है। उक्त वादग्रस्त शामलाती भूमि का विभाजन करते समय समस्त पक्षकारान की उपस्थिति में स्वतंत्र सहमति प्राप्त कर उक्त विभाजन किया गया है। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़ा का आवेदन समस्त पक्षकारान ने स्वयं उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिड़ा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने एवं प्रस्तुत आवेदन पर दर्शाई गई बंटवाड़ा को स्वतंत्र सहमति दिए जाने पर दिनांक 04.01.2002 को विभाजन को राजस्व अभिलेख व नक्शा में तरमीम करने हेतु आदेश किया गया था, किसी भी आराजी का एक बार आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर दिया जाता है तो उसका पुनः बंटवाड़ा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अपीलांटगण द्वारा पेश की गई अपील झुठा व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर होने से खारिज योग्य हैं।

अतः हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिड़ा के समक्ष सहमति इकरारनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया है तथा तहसीलदार गिड़ा द्वारा इस इकरारनामा को पक्षकारान की उपस्थिति में उनकी स्वतंत्र सहमति से अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया है। एक बार सहमति प्रदान करने के बाद इसे जरिये अपील चुनौती दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिड़ा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उसमें हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। इस प्रकार अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन, आधारहीन तथ्यों पर आधारित नहीं होने के साथ साथ मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य हैं। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ-साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिड़ा के आदेश क्रमांक शिविर/2001/750 दिनांक 04.01.2002 को बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22-04-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. गुंजन सोनी)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
बालोतरा